(55)

निगरानी प्र.क्र.   /2017

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/रतलाम/भू-रा/2017/2835

1— देवेन्द्र पिता लालचन्दजी जायसवाल
उम्र—48 वर्ष, धंधा—कृषि,
निवासी—ग्राम सिमलावदा तह. व जिला रतलाम
हा.मु.—सरस्वती कॉलोनी, बदनावर जिला धार म.प्र.

2— राधेश्याम पिता गंगाराम धाकड़
उम्र— 48 वर्ष, धंधा—कृषि
निवासी—ग्राम काचीबड़ौदा,
तह. बदनावार जिला धार म.प्र. .... **निगरानीकर्ता/प्रार्थी**

विरूद्व

बलराम पिता नारायण जाति कुलम्बी
उम्र—28 वर्ष, धंधा—कृषि,
निवासी—ग्राम सिमलावदा तह. व जिला रतलाम ....**प्रतिप्रार्थी**

—:: निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. :: —

(निगरानी बनाराजगी राजस्व निरीक्षक महोदय टप्पा बिलपांक द्वारा प्रकरण क्रं. 63/अ–12/15–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांकित 08.05.2015 से असंतुष्ट होकर)

मान्यवर महोदय,

—:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि :—

1— यह कि प्रतिप्रार्थी बलराम पिता नारायणजी **द्वारा** सर्वे क्रं. 1190/2 1191/5 कुल किता 02 कुल रकबा 1.400 की कृषि भूमि का राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त—4 टप्पा बिलपांक जिला रतलाम में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, उक्त

निरन्तर..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(53)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2835

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.1.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	